भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
28.07.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1077 का उत्तर

रेलवे में आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण

1077. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे में आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) आउटसोर्स नौकरियों के माध्यम से कुल कितने कार्य किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार उन पदों पर स्थायी नियुक्ति करने पर विचार करेगी जिनमें लंबे समय तक नौकरियों को आउटसोर्स किए जाने की आवश्यकता होती है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

s.k

रेलवे में आउटसोर्स नौकरियों में आरक्षण के संबंध में 2 8.07.2023 को राज्य सभा में श्रीमती फूलो देवी नेतम के अतारांकित प्रश्न सं . 1077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क): संविदागत रोजगार में आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(ख) और (ग) : भारतीय रेल विभिन्न विभागों जैसे यांत्रिक , वाणिज्यिक, बिजली, सिविल इंजीनियरिंग, सिगनल एवं दूरसंचार , चिकित्सा, आदि से संबंधित स्टेशनों , सवारी-डिब्बों; मालडिब्बों;ी कोचिंग डिपो , रेलइंजनों, पटरियों आदि सहित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण के व्यापक कार्य निष्पादित करती है। इन कार्यों को अपने कर्मचारियों के जरिए और/अथवा संविदाकारी एजेंसियों के ज़रिए आउटसोर्स करके निष्पादित किया जाता है। परिचालन में सेवाओं और कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर रेलवे द्वारा आवश्यैकतानुसार आउटसोर्सिंग की जाती है और आउटसोर्सिंग के ज़रिए किए जा रहे कार्य आवश्ययकतानुसाससमय-समय पर बदलते रहते हैं।

पदों को रिक्तव होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और रेलें अपनी परिचालनिक आवश्येकतानुसार रिक्तियों को भरने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।

******

s.k